

न्यायालय:-प्रथम अपर न्यायाधीश के द्वितीय अति. न्यायाधीश, अशोकनगर
श्रृंखला न्यायालय चंदेरीजिला – अशोकनगर (म.प्र.)
॥ समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

एम.सी.ए.नं.-25 / 2018
संस्थित दिनांक-21.12.2017
सिविल विविध अपील क.-01ए / 2018

1. शहाबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन मुसलमान, आयु-47 वर्ष,
2. ताजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन मुसलमान, आयु-45 वर्ष,
निवासीगण-पट्टी मार्ग, बाहर शहर वार्ड क.-18,
चंदेरी, व जिला-अशोकनगर

.....अपीलार्थीगण / वादीगण

॥ विरुद्ध ॥

1. कमरुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन मुसलमान, आयु-92 वर्ष,
2. नूरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन मुसलमान, आयु-51 वर्ष,
3. अमीनुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन मुसलमान, आयु-47 वर्ष,
निवासीगण-बाहर शहर पट्टी मार्ग, वार्ड क.-18 चंदेरी,
जिला-अशोकनगर

..... प्रतिअपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण

4. नसरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन मुसलमान,
निवासी- बाहर शहर पट्टी मार्ग, वार्ड क.-18 चंदेरी,
जिला-अशोकनगर
5. म.प्र. शासन,
द्वारा श्रीमान् कलेक्टर, जिला-अशोकनगर

..... फॉरमल प्रतिअपीलार्थी

अपीलार्थीगण द्वारा	:- श्री सतीश श्रीवास्तव अधि.।
प्रतिअपीलार्थी क.-1 लगायत 3 द्वारा	:- श्री तनवीर अहमद जाफरीअधि.।
प्रतिअपीलार्थी क.-4 द्वारा	:- श्री धीरेन्द्र परमार अधि.।
प्रतिअपीलार्थी क.-5	:- अनिर्वाहित।

-:: नि र्ण य ::-

(आज दिनांक 15.05.2018 घोषित किया गया)

1. प्रस्तुत अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चंदेरी जिला-अशोकनगर (श्री साजिद मोहम्मद) के द्वारा प्रकरण क.-54ए/17 में दिनांक 20.12.2017 को दिए गए आदेश जो कि चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क.-475 रकबा 0.136 हे. भूमि कमरुद्दीन के नाम होकर उसमें से 1/3 भाग अर्थात् 4875 वर्ग फीट भूमि जिसके बटा अंकित होकर

.2. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

457/1, 457/2 रकबा क्रमशः 0.095, 0.041 हो गया है। जो 457 रकबा 0.136 का भाग होकर वाद संलग्न नक्शा अनुसार 4875 वर्ग फीट भूमि है, के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है, के संबंध में आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. इस संबंध में अपीलार्थीगण जो कि मूल प्रकरण के वादीगण है एवं प्रत्यर्थीगण/प्रतिअपीलार्थीगण को आगे सुविधा की दृष्टि से वादीगण एवं प्रतिवादीगण से संबोधित किया जाएगा।

3. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र-475/1 सर्वे क्र-475/2 कुल रकबा 0.136 हे. कस्बा चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र-475 के भाग की होकर उसमें 1/3 भाग संलग्न नक्शा अनुसार जिसे लाल स्याही से चिह्नित किया गया है कि स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा बावत् यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

4. वादीगण/अपीलार्थीगण ने आवेदन पत्र में यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता को पारिवारिक हिस्से में प्राप्त हुई थी। यह भूमि पारिवारिक भूमि होकर विवादग्रस्त भूमि है। जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिह्नित किया गया है। इस भूमि में वादीगण का कमरा बना है, प्रतिवादीगण के मन में बदयांति आ जाने से विवादग्रस्त भूमि को विक्रय कराना चाहते हैं, जबरन मकान का निर्माण कराने को अमादा है, कहा कि कब्जा छोड़ो हम मकान बनायेंगे। अगर प्रकरण के निराकरण तक विवादग्रस्त भूमि जो कि चार हजार आठ सौ पछत्तर वर्ग फिट की भूमि है अन्य कोई भूमि विक्रय न करे जबरन निर्माण कारित कराने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिअपीलार्थीगण क्र-01 लगायत 03 की ओर से अपने जबाब में प्रकट किया है कि उक्त भूमि अनावेदक क्र-01 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 1969 में क्रय की थी, क्रय दिनांक से आज तक उनके उपयोग में चली आ रही है। उक्त संपत्ति से दिनांक 09.11.15 को अनावेदक क्र-03 को चार हजार चार सौ एक वर्ग फिट भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई है। शेष भूमि का स्वामी प्रतिअपीलार्थी क्र-01 है एवं शेष भूमि का हिबानामा प्रतिअपीलार्थी क्र-2 के हित में किया है। आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा यह आपत्ति की है कि वादी का वाद अवधि वाह्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र-475 क्रय किया गया था। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये ऐसे दावे पूर्व में भी किये गये हैं, जिन्हें निरस्त किया गया है।

प्रस्तुत आदेश के संबंध में मुख्य विचारणी बिंदु यह है कि –

1— क्या, प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में है ?

2— क्या, विचारण न्यायालय ने वादीगण के आवेदन आदेश 39

.3. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

नियम 1 व 2 सीपीसी के संबंध में आदेश दिनांक 20.12.2017 पारित कर विधिक भूल कारित की है ?

6. अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र पर विचार किये जाते समय यह विचार किया जाना है कि वाद प्रस्तुति दिनांक को वादग्रस्त भूमि की क्या स्थिति है और उसकी स्थिति को प्रकरण के निराकरण तक बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश किया जाता है।

7. प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने अपील में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.-475 रकबा 0.136 हे.कस्बा चंदेरी स्थित भूमि प्रतिअपीलार्थी क्र-01 के नाम पर भू-राजस्व रिकार्ड में अंकित है। परंतु अपीलार्थीगण का यह भी कहना है कि उक्त भूमि अपीलांतगण के पिता एवं प्रतिअपीलार्थी क्र-01 व फार्मल प्रतिवादी क्र-04 ने शामिल रूप से क्रय कर प्रतिअपीलार्थी क्र-01 के नाम करवा दी थी एवं वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी के पिता एवं प्रतिअपीलार्थी क्र-01 व 4 के मध्य आपसी बटवारा हुआ था जिसमें 475 के 1/3 भाग होकर अपीलार्थीगण के पिता को 1/3 भाग प्राप्त हुआ है एवं अपीलार्थीगण के पिता का स्थापित कब्जा है और सर्वे क्र-475 के वर्तमान में बटांकन क्र-475/1 एवं 475/2 हो गये हैं। जबकि इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी क्र-01 द्वारा अपने जबाव में यह स्वीकार किया है कि भूमि सर्वे क्र-475/1 एवं 475/2 मौके पर है। उक्त संपत्ति में से अनावेदक क्र-3 को चार हजार चार सौ एक वर्गफिट भूमि रजिस्टर्ड पत्र द्वारा विक्रय की गई है शेष भूमि का स्वामी अनावेदक क्र-01 है। जिसके संबंध में हिबानामा अनावेदक क्र-02 के हित में किया है। अपने जबाव के समर्थन में प्रतिअपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कमरुद्दीन द्वारा क्रय की गई भूमि सर्वे क्र-475 का क्रय किये जाने के संबंध में बयानामा दिनांक 11.07.61 मूल जो कि रजिस्टर्ड है प्रस्तुत किया है, साथ ही खसरा संवत् 2056-2060, 2061-6065, 6066-6070 तक की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। जिसमें सर्वे क्र-475 रकबा 0.136 खेडा कस्बा चंदेरी को कमरुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन के नाम पर दर्ज होना दर्शित किया गया है एवं प्रस्तुत खसरा वर्ष 2017-18 जो कि सर्वे क्र-475/1 है। वह कमरुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन के नाम पर रकबा 0.095 कस्बा चंदेरी के नाम पर दर्ज है। सर्वे क्र-475/2 रकबा 0.041 हे. भूमि हल्का चंदेरी अमीनउद्दीन पुत्र कमरुद्दीन के नाम पर दर्ज की गई है। खसरा में यह तथ्य अंकित है कि 26.12.16 से सहमति बटवारा स्वीकृत किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्र-01 प्रतिअपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी क्र-03 के नाम भूराजस्व में भूमि वर्तमान में दर्ज है।

8. प्रकरण में शहाबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन एवं अन्य विरुद्ध नसरुद्दीन, कमरुद्दीन आदि सिविल अपील प्रकरण क्र-19ए/17 आदेश दिनांक 31.10.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये वाद क्र-22ए/15 जिसका फाइलिंग नंबर 235103000022011 संस्थित दिनांक 03.11.11 दर्शित की गई है, में वाद को नामंजूर किये जाने में विधिक त्रुटि कारित किया जाने से अपील नामंजूर की गई

.4. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

है, जिसमें लिखे गये उन्मान से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण के वादीगण शहाबुद्दीन, ताजुद्दीन द्वारा एवं इसरत द्वारा नसरुद्दीन, कमरुद्दीन अमीनुद्दीन एवं अन्य चार के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई अभिवचन नहीं है। वादीगण की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज संवत् 2051 से लगायत 2055 प्रस्तुत किया है, जिसमें कमरुद्दीन भूस्वामी के रूप में बताया गया है एवं हक त्याग लेख जिसमें कमरुद्दीन द्वारा नसरुद्दीन व निजामुद्दीन के पक्ष में सर्वे क्र-475 बावत् हक त्याग लेख लेखबद्ध किया जाना प्रकट होता है। जिसका कोई मूल प्रस्तुत नहीं है। वर्ष 1997 की किश्तबंदी खतौनी प्रस्तुत की गई है। जिसमें निजामुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन को सर्वे क्र-475 में से चार हजार आठ सौ पछत्तर वर्ग फिट का भूमि स्वामी होना दर्शित किया गया है। कमरुद्दीन ने अमीनुद्दीन को उक्त भूमि का विक्रय विलेख किया गया है एवं अन्य विक्रय विलेख हाफिज कमरुद्दीन द्वारा हाफिज नूरुद्दीन के पक्ष में की गई है।

9. प्रकरण में वादी, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किश्तबंदी खतौनी में वर्ष 1997 में निजामुद्दीन का नाम दर्ज हुआ है। परंतु उसके पश्चात् किस आधार पर नाम जोड़ा गया अथवा कम किया गया ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा नाम दर्ज होने के आलोक में वादीगण का मामला प्रथम दृष्टया सुदृढ नहीं माना है। माननीय न्याय दृष्टांत गुलाबचंद वि० शांतिवाई 1928 (1) एम.पी.डब्ल्यू एन नोट 106 एवं अन्य न्याय दृष्टांत रामसिरोमणी वि० रामप्रताप 1998 (1) एम.पी.डब्ल्यू नोट 180 में यह मार्ग दर्शित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। खसरा प्रवृष्टि का निष्कर्ष उस व्यक्ति के कब्जाधारी के रूप में लिया जाएगा। प्रश्नगत प्रकरण में प्रकरण के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादीगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला से वर्तमान स्थिति में कमरुद्दीन व अमीनुद्दीन के नाम दर्ज होने से उनका आधिपत्य होने के संबंध में उपधारणा की गई है, जो कि धारा 117 भूराजस्व संहिता 1959 के तहत सही होने की खंडन के अभाव में उपधारणा की जाएगी।

10. प्रकरण में अपीलार्थी/वादीगण की ओर से हक त्याग विलेख की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जो कि दिनांक 25.06.93 को संपादित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। परंतु उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया वादीगण/अपीलार्थीगण के आधिपत्य होने की उपधारणा प्रतिवादीगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला एवं डायवर्सन के प्रपत्र व बयनामा दिनांक 11.07.61 के आलोक में एवं कमरुद्दीन का नाम लगातार राजस्व अभिलेखों में चले आने से एवं राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाल प्रति वर्ष राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्मित किये जाने से इस स्तर पर विचार योग्य नहीं है। प्रकरण में वादीगण की ओर से अपने वादपत्र में विक्रय करने की धमकी दिये जाने के कारण यह वाद प्रस्तुत करना बताया है। अभिलेख पर प्रतिवादी/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायालय

.5. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

के आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि से यह प्रथम दृष्टया उपधारणा की जाती है कि वर्ष 03.11.2011 से उभयपक्षों के मध्य विवाद न्यायालय में लंबित रहे हैं। जिसका कोई उल्लेख वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र में नहीं किया गया है कि ऐसी स्थिति में स्पष्ट अभिवचन न होने से वादीगण/अपीलार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया सुदृढ़ होना प्रतीत नहीं होता है एवं प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों एवं बयनामा जो वर्ष 1961 का है, प्रतिवादी क्र-01 के नाम पर होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत अपीलार्थीगण एवं वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि संमत है। उसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विचारण न्यायालय ने वादीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी विधिक शर्तों के अनुरूप सही आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत विविध अपील अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 की पुष्टि की जाती है।

11. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर निराकरण के समय नहीं होगा।

12. उभय पक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित,
घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

मेरे आलेख में टंकित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला न्यायाधीश, अशोकनगर के
न्यायालय के द्वि.अति.न्यायाधीश,
अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला न्यायाधीश, अशोकनगर
के न्यायालय के द्वि.अति.
न्यायाधीश, अशोकनगर

.6. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

अशोकनगर, दि.-

1. प्रस्तुत विविध अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चंदेरी, अशोकनगर (श्री साजिद मोहम्मद) के द्वारा प्रकरण क्र.-02ए/17 में दिनांक 10.10.2017 को दिए गए

.7. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

आदेश जो कि ग्राम बडेरा चक में स्थित भूमि सर्वे क्र.-290 रकबा 0.209 हे. भूमि जिसके संबंध में वादीगण द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण के निराकरण तक विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न किए जाने बाबत जारी किए जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत विविध अपील के निराकरण में अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अनुसार वादी एवं अपीलार्थीगण को प्रतिवादीगण के रूप में संबोधित किया जाएगा।

3. प्रस्तुत विविध अपील व्यवहार वाद क्र.-20ए/2017 से उत्पन्न हुई है, जिसमें यह निर्विवादित तथ्य है कि सर्वे क्र.-290 रकबा 0.209 हे. हल्का ग्राम बडेरा चक, तहसील चंदेरी राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादीगण की भूमि चंदन सिंह, शिवराज सिंह, कमल सिंह, हरिराम पुत्र हजारी लाल के नाम पर दर्ज है।

4. विचार न्यायालय के प्रकरण में वादी ने अपने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी दिनांक 10.07.2017 में यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शा में अ, ब, स, द भाग पर स्थित दीवाल पर जो कि सर्वे क्र.-290 ग्राम बडेरा चक, चंदेरी का भाग है पर अवैध रूप से बल पूर्वक कब्जा करना चाहता है एवं उक्त स्थान पर बनी हुई वाउंड्री वाल पर प्रकरण के निराकरण के पूर्व जबरजस्ती आधिपत्य करना चाहते हैं। अतः प्रकरण के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में वादी द्वारा नंदराम एवं कल्लू जो कि ग्राम बडेरा चक के निवासी हैं, के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

5. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण क्र.-1, 2, 3, 4, 5 की ओर से उक्त आवेदन के जबाब में बताया है कि आवेदक द्वारा स्वत्व संबंधी एवं आधिपत्य संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा भूमि को हडपने का षणयंत्र किया जा रहा है। वे आवेदक की किसी दीवाल पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। अनावेदकगण ने उनकी भूमि का सीमांकन कराया है, जिसकी नकल प्रस्तुत की गई है। आवेदक का किसी भूमि से कोई संबंध नहीं है। आवेदक को अपनी भूमि का सीमांकन करना चाहिए। अनावेदक को सीमांकन में प्राप्त भूमि पर वाउंड्री बनाना चाहता है। इसलिए न्यायालय से अनुमति लेकर वंदिश लगाना चाहता है। आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। आवेदन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा भारत सिंह पुत्र रामदास लोधी, निवासी ग्राम बडैया तह. चंदेरी का शपथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत आदेश के संबंध में मुख्य विचारणी बिंदु यह है कि -

1- क्या, प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में है ?

.8. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

2— क्या, विचारण न्यायालय ने वादीगण के आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के संबंध में दिनांक 10.10.2017 को स्वीकार करने में विधिक भूल कारित की है ?

6. उपरोक्त विचारण प्रश्नों के संबंध में विचारण न्यायालय में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने स्वत्व की भूमि के संबंध में खसरा पांचसाला एवं वादग्रस्त भूमियों का निक्शा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा सीमांकन पंजीयन, रसीद एवं नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत नंदराम व कल्लू के शपथ पत्र अनुसार वादग्रस्त स्थान पर भारत सिंह बगैरह, कमल व हरिराम का कब्जा देखने के संबंध में समर्थन किया है। जबकि भारत सिंह के शपथ पत्र में उक्त भूमि भाग के संबंध में सीमांकन उपरांत उन्हें उनका आधिपत्य दे दिए जाने के संबंध में शपथ पत्र दिया गया है। प्रस्तुत सीमांकन पंजीयन का अवलोकन किया गया। सीमांकन पंजीयन अनुसार सर्वे क्र.-26, 36, 291, 292, 293, 385, 38 कुल रकबा 4.671 हे. भूमि का मौके पर सीमांकन किया गया है तथा चतुर्सीमा पर सीमांकन कर निशान लगाए गए हैं। उक्त सीमांकन पंजीयन पर इस प्रकरण के वादीगण हरिराम व कमल सिंह के हस्ताक्षर खुली आंखों से देखे जाने पर कही पर होना दर्शित नहीं होते हैं। प्रकरण में उक्त पंजीयन एवं रसीद में यह कही दर्शित नहीं है कि उक्त जमीन का कोई भाग सर्वे क्र.-290 की भूमि में जो कि वादीगण के आधिपत्य में होना बताया गया है। जबकि वादी ने अपने आवेदन के समर्थन में चक बडेरा गांव के दो निवासियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं कि वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है। जबकि मूल प्रकरण के प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत भारत सिंह के शपथ पत्र में सीमांकन उपरांत उन्हें आधिपत्य प्राप्त होना बताया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि वादग्रस्त स्थान पर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का आधिपत्य सुदृढ़ नहीं है। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों एवं अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में एवं प्रतिवादी क्र-1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं शपथ पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया वादीगण का मामला सुदृढ़ होना प्रकट होता है।

8. न्यायदृष्टांत रामेगौडा वि. एम.वरडप्पा नायडू ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4609 में यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी पक्ष ने अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया, वादी स्थापित आधिपत्य में है, उसका आधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए। विधिक का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निषेधाज्ञा का अनुतोष एक विवेकाधिकार पर आधारित अनुतोष है, जिसे सामान्यतः अतिक्रामक के पक्ष में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। परंतु प्रश्नगत् प्रकरण में वादी ने अपना स्वामित्व एवं आधिपत्य बाबत् खसरा पांचसाला के आधार पर प्रथम दृष्टया वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना पाया है। प्रतिवादीगण क्र.-1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जबाब को देखते हुए सीमांकन में वादी के आधिपत्य की भूमि बाबत् भूमि निकलने की संभावना से एवं प्रतिवादीगण द्वारा बल पूर्वक बेदखल किए जाने की आशंका दर्शित किए जाने से बलपूर्वक आधिपत्य में

.9. सिविल विविध अपील क्र.-1ए/2018

हस्तक्षेप की आशंका निर्मूल नहीं कही जा सकती है एवं माननीय न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांत के आलोक में हक न होने पर भी बल पूर्वक आधिपत्य विहीन किए जाने को संरक्षित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का मामला विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया सुदृढ होने एवं सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में पाए जाने से दी गई स्थाई निषेधाज्ञा अनुसार प्रतिवादीगण को विधि की प्रक्रिया अपनाए बगैर बल पूर्वक बेदखल किए जाने से निषेधित किया गया है। विधिक कार्यवाही किए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसी स्थिति में विचार विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश विधि संमत है। उसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विचारण न्यायालय ने वादीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी विधिक शर्तों के अनुरूप सही पारित किया है। अतः प्रस्तुत विविध अपील अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 की पुष्टि की जाती है।

9. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर निराकरण के समय नहीं होगा।

10. उभय पक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित,
घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

मेरे आलेख में टंकित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला न्यायाधीश, अशोकनगर के
न्यायालय के द्वि.अति.न्यायाधीश,
अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला न्यायाधीश, अशोकनगर
के न्यायालय के द्वि.अति.
न्यायाधीश, अशोकनगर

पृष्ठांकन :-

अशोकनगर, दि.-

izfrfyfi %&Jhefr fjr q oekZ dVkfj;k] f}rh; O;ogkj
U;k;k/kh'k oxZ&1] v'kksduxj dh vksj lwpukFkZ
,oa ikyukFkZ izsf"krA

न्यायदृष्टांत मानसिंह (डी) द्वारा वारिसान विरुद्ध रामकला मृत द्वारा वारिसान एवं अन्य 2011 एस.सी. 1542 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मृतक की विधवा, पुत्र एवं पुत्रियां प्रथम अनुसूची के प्रथम वर्ग के वारिस हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था एवं पत्नी एवं पुत्रों के बीच निर्धारण किया गया। ऐसा निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया। उक्त प्रकरण में पुत्रियों को भी पक्षकार नहीं बनाया जाना प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना गया है। प्रश्नगत प्रकरण में भी वादिनी अन्य पक्षकारों के साथ मृतक जगना की अंशभागी होना अभिलेख पर प्रमाणित होता है।